

कण्डिका क्रमांक 26

वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा, नाम, पदनाम, सील एवं दिनांक
सहित
(प्रपत्र I से IV तक) संलग्न है।



महानिर्देशक,

मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज
लिमिटेड सिलतरा रायपुर (छ.ग.)

**वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

भाग- 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

पंजीयन क्रमांक :- FP/CG/Approach/156074/156074/2022

7		परियोजना/स्कीम का स्थान	वन परिक्षेत्र छोटेडोंगर अंतर्गत वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 2193 रकबा 2.025 हे0 लौह अयस्क के परिवहन हेतु वैकल्पिक सड़क निर्माण हेतु इस वनमण्डल अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रभावित होती है। जो न्यूनतम है।
	i.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
	ii.	जिला	नारायणपुर
	iii.	वन प्रभाग	नारायणपुर वनमण्डल नारायणपुर, परिक्षेत्र छोटेडोंगर
	iv.	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र है। (हे0)	निरंक
	v.	वन की कानूनी स्थिति	
		(क) सीमांकित संरक्षित वन	निरंक
		(ख) सीमांकित आरक्षित वन	2.025
		(ग) असीमांकित संरक्षित वन	निरंक
		(घ) राजस्व वनक्षेत्र	निरंक
	vi.	हरियाली का घनत्व	मिश्रित वन , साईड क्वालिटी - III वन घनत्व - 0.5 से 0.6
	vi i.	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल. -2मी. परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाए।	संलग्न
	vi ii.	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशील पर संक्षिप्त टिप्पणी	संभावना नहीं है
	ix.	वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी.	आवेदित भूमि वन क्षेत्र है।
	x.	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)	नहीं है
	xi.	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं, यदि हाँ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं

	xii	क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	संस्थान मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड सिलतरा छोटेडोंगर द्वारा कक्ष क्रमांक आर.एफ.2193 रकबा 2.025 हे0 लौह अयस्क के परिवहन हेतु वैकल्पिक सड़क निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि पर कोई भी सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र नहीं है।																
8	.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरे सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	प्रस्तावित वनभूमि परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है																
9		क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।	नहीं																
10		प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा																	
	i.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	प्रति पूरक वनीकरण के लिये व्यवर्तन हेतु प्रस्तावित 2.025 हे0 भूमि के एवज में संस्थान द्वारा दी गई 2.025 हे0 निजी भूमि का विवरण <table><tr><th>भू खण्ड</th><th>वनमण्डल का नाम</th><th colspan="2">ग्राम /खसरा</th><th>प्रतिपूरक वनीकरण के लिये कार्य योग भूखण्ड का आकार</th><th>टिप्पणी</th></tr><tr><td>1</td><td>पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमण्डल</td><td colspan="2">ग्राम — कावड़ी सालहेभाट</td><td rowspan="2">2.050</td><td rowspan="2">प्रति पूरक वनीकरण के लिये भूखण्ड निजी भूमि है।</td></tr><tr><td></td><td></td><td>18</td><td>2.050</td></tr></table>	भू खण्ड	वनमण्डल का नाम	ग्राम /खसरा		प्रतिपूरक वनीकरण के लिये कार्य योग भूखण्ड का आकार	टिप्पणी	1	पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमण्डल	ग्राम — कावड़ी सालहेभाट		2.050	प्रति पूरक वनीकरण के लिये भूखण्ड निजी भूमि है।			18	2.050
भू खण्ड	वनमण्डल का नाम	ग्राम /खसरा		प्रतिपूरक वनीकरण के लिये कार्य योग भूखण्ड का आकार	टिप्पणी														
1	पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमण्डल	ग्राम — कावड़ी सालहेभाट		2.050	प्रति पूरक वनीकरण के लिये भूखण्ड निजी भूमि है।														
		18	2.050																
	ii.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/ अवक्रमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है																
	iii.	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	संलग्न है																
	iv.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	रूपयें —																

	v.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र प्रबंधकीय दृष्टिकोण से पूर्णतः उपयुक्त है। प्रमाण पत्र संलग्न है।
11		जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi,xii), 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है
12		विभाग/जिला प्रोफाइल	
	i.	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	3165.882 वर्ग कि०मी०
	ii.	जिले का वनक्षेत्र	116237.97 हेक्टेयर
		(क) आरक्षित वन	76808.39 हेक्टेयर
		(ख) संरक्षित वन	28220.44 हेक्टेयर
		(ग) असीमांकित वन	11209.14 हेक्टेयर
		योग :-	116237.97 हेक्टेयर
	iii.	मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।	वनमण्डल के अंतर्गत 1980 से अब तक कुल प्रकरणों में 559.151 हे० वन भूमि वनेत्तर प्रयोग में लाया गया है।
	iv.	1980 में जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक:	180.231 हे.
		क. दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि।	-
		ख. वनेत्तर भूमि पर।	-
	v.	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति:-	
		क. वनभूमि।	180.231 हे.
		ख. वनेत्तर भूमि पर	-
13		प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	संस्थान मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड छोटेडोंगर द्वारा कक्ष क्रमांक आर.एफ. 2193 रकबा 2.025 हे० लौह अयस्क के परिवहन हेतु वैकल्पिक सड़क निर्माण से लौह अयस्क परिवहन कार्य सरलता से होगा। इस महत्वाकांक्षी प्रस्ताव हेतु 2.025 हे० वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा सहित प्रेषित है।

दिनांक :- 17/05/2023

(संदीप बलगा)

“भा.व.से.”

वनमण्डलाधिकारी,

नारायणपुर वनमण्डल नारायणपुर

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग- 3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई । क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

.....

.....

.....

.....

15. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।

.....

.....

.....

.....

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ सिफारिशें ।

.....

.....

.....

.....

दिनांक :

स्थान :



मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षक/
व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1	परियोजना का नाम	संस्थान कक्ष क्रमांक आर.एफ.2193 रकबा 2.025 हे० लौह अयस्क के परिवहन हेतु वैकल्पिक सड़क निर्माण से लौह अयस्क परिवहन कार्य हेतु।			
2	आवेदक/आवेदक का विभाग का नाम	संस्थान मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड सिलतरा रायपुर			
3	गैर वनिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	लौह अयस्क के परिवहन के लिए वैकल्पिक सड़क निर्माण हेतु			
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	आरक्षित/नारंगी वन क्षेत्र			
		नारायणपुर	नारायणपुर	नारायणपुर वनमण्डल के परिक्षेत्र छोटेडोंगर अंतर्गत 2.025 हे० वन भूमि	
5	वन भूमि / राजस्व वन भूमि का विस्तृत विवरण	वन खण्ड	कक्ष क्रमांक/ख०क्र०	रकबा हे.में	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल हे. में
	(क) सीमांकित संरक्षित वन	—	-	—	—
	योग :-	—	-	—	—
	(ख) सीमांकित आरक्षित वन	छोटेडोंगर	RF 2193	—	2.025
	योग :-	—	01	—	2.025
	(घ) राजस्व वनक्षेत्र	ग्राम	खसरा न०	रकबा हे.में	
		—	—	—	—
	कुल योग:-	01	01		2.025
6	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	मिश्रित वन, साईड क्वालिटी - III वन घनत्व -0.5 से 0.6			
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	लौह अयस्क के परिवहन के लिए वैकल्पिक सड़क निर्माण में 562 वृक्ष हैं वृक्षों का विवरण पेज क्रमांक 31-57 तक में संलग्न है।			
8	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	सामान्य			
9	आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी. /वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	—			

10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायेस्पेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 5 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	नहीं
11	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेषकर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वन क्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/ भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या	लौह अयस्क परियोजना छोटेडोंगर
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण दें।	नहीं

// प्रमाण-पत्र //

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई कुल रकबा 2.025 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल :- माईनिंग लीज क्षेत्र (छोटेडोंगर)

दिनांक :- 17/05/2023


 (संदीप बलगा)
 "भा.व.से."
 वनमंडलाधिकारी
 नारायणपुर वनमण्डल,
 नारायणपुर (छ.ग.)

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, नारायणपुर वनमण्डल, नारायणपुर

Phone/Fax No. 07781-252228 (O), 252232 (R), E-mail - dfonpur1@gmail.com/ dfo-narayanpur.cg@gov.in

स्थल निरीक्षण प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि नारायणपुर वनमण्डल के छोटेडोंगर परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम – राजपुर कक्ष क्रमांक— RF/2193 में से रकबा 2.025 हे. में लौह अयस्क परिवहन हेतु वैकल्पिक सड़क निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण दिनांक 17.05.2023 को मेरे द्वारा किया गया । बिन्दु क्रमांक (xi) के अनुसार प्रस्तावित भूमि में किसी भी प्रकार की दुर्लभ/ संकटापन्न / विशिष्ट प्रजाति के वनस्पति एवं वन्य जीव नहीं है तथा बिन्दु क्रमांक (xii) के अनुसार प्रस्तावित भूमि में कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक इस क्षेत्र में स्थित नहीं है ।

मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड सिलतरा रायपुर के द्वारा लौह अयस्क परिवहन हेतु वैकल्पिक सड़क निर्माण हेतु वनभूमि 2.025 हे. परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है ।

गैर वानिकी प्रयोजन हेतु कक्ष क्रमांक — RF/2193 रकबा — 2.025 हे. प्रस्तावित स्थल में कुल 562 मिश्रित प्रजाति के सस्य धारित करते हुए घनत्व 0.5 से 0.6 तक तथा स्थल तृतीय श्रेणी के वन है एवं प्रस्तावित स्थल पहाड़ी / मृदा दूमट है ।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि में किसी भी प्रकार की कोई गैर वानिकी कार्य नहीं किया गया है ।

नारायणपुर जिले के तहसील —छोटेडोंगर, ग्राम —राजपुर में लौह अयस्क परिवहन हेतु वैकल्पिक सड़क निर्माण होने से लौह अयस्क परिवहन कार्य सरलता से होगा । इस महत्वकांक्षी प्रस्ताव हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है ।


(जागेश्वर गंधर्व)

परिक्षेत्र अधिकारी

छोटेडोंगर


(दिवलाल दुग्गा)

“स.व.स.”

उपवनमण्डलाधिकारी

दक्षिण उपवनमण्डल नारायणपुर


(संदीप बलगा)

“भा.व.से.”

वनमण्डलाधिकारी

नारायणपुर वनमण्डल, नारायणपुर